Phone & Fax no. 0135-2658294 E-mail: cfshiwalik@yahoo.co.in

कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक- 2247 /12-1(1) दिनांक, देहरादून, 27 मार्च 2023

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून।

विषयः- **ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/146663/2021 उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड़ (स्पर) के डिजाईन किमी0 0.00 से किमी0 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 19.8345 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन के संबंध में।**

संदर्भः- **आपका पत्रांक 3085/12-1 दिनांक 20.03.2023**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करें, जिससे विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव का ऑनलाईन अवलोकन करने पर संज्ञान में आया है कि उक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की हवाई दूरी राजाजी टाईगर रिजर्व से 0.497 किमी0 है, जो कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन सं0-202(1995) टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार तथा आई0ए0 नं0 1000 (2003) में दिनांक 03.06.2022 को पारित निर्णय के क्रम में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड की पत्र संख्या-1258/पी0ओ0 दिनांक 04.06.2022 के अनुसार ईको सेंसिटिव जोन (Eco Sencitive Zone) के अन्तर्गत आता है। इसके अतिरिक्त वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं0-1777/1(2)Va.Gra.Vi./2002-19(9)/2002 दिनांक 28.10.2002 के अनुसार भी उक्त क्षेत्र "Shivalik Elephant Reserve" का भाग है।

विषयांकित प्रयोजन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र ईको सेंसिटिव जोन एवं शिवालिक एलीफेण्ट रिजर्व क्षेत्रान्तर्गत होने के कारण निर्माण कार्य से पूर्व राज्य वन्यजीव परिषद एवं राष्ट्रीय वन्यजीव परिषद की अनापत्ति/अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है, किन्तु प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन भाग-। की बिन्दु सं0-I (i) में उक्त प्रस्ताव ईको सेंसिटिव जोन के अन्तर्गत नहीं है, अंकित किया गया है तथा आपके स्तर से भी ऑनलाईन भाग-।। में बिन्दु सं0-08 (iv) परियोजना निर्माण से संबंधित क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है एवं बिन्दु सं0-08(v) में संबंधित क्षेत्र में कोई दुर्लभ, लुप्तप्राय एवं विशेष प्रजाति के जीवजंतुओं एवं वनस्पति नहीं होना अंकित किया गया।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रस्ताव से संबंधित ऑनलाईन भाग-। एवं ।। में उपरोक्तानुसार कमियों का निराकरण कर ही प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय

(राजीव धीमान)
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून।

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड।

दू०सं० 0135–2746934 2741461, फैक्स– 2741630, 2741462 ईमेल: pccfuk@gmail.com

पत्र संख्या– 1258/P.0 देहरादून, दिनांक, 04 जून 2022

कार्यालय आदेश

मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन सं. 202 (1995) टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार तथा आई0ए0सं0 1000 (2003) एवं आई0ए0 में दिनांक- 03 जून 2022 को पारित निर्णय की प्रति संलग्न की जा रही है। मा0सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जन्तु अभ्यारण्य) की सीमा के 01 कि0मी0 की परिधि तक इको सेंसिटिब जोन (Eco Sencitive Zone) घोषित करने के आदेश हैं।

इस क्रम में उत्तराखण्ड में स्थित समस्त संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जन्तु अभ्यारण्य) की सीमा से 1 कि0मी0 की परिधि को इको सेंसिटिब जोन (Eco Sencitive Zone) हेतु चिन्हित किया जाना है। इस हेतु सेटेलाइट इमेजरी, ड्रोन मैपिंग का उपयोग करते हुये प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के इको सेन्सेटिब जोन हेतु मानचित्र मय क्षेत्र वर्गीकरण तथा उक्त प्रस्तावित इको सेंसिटिब जोन में विविध अवस्थापनाओ का विवरण तैयार कर मा0सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल किया जाना है।

मुख्य वन संरक्षक, मूल्यांकन, आई0टी0 उपरोक्त कार्य का प्रारम्भिक प्रतिवेद्रन एक माह के अन्तर्गत तैयार कर उपलब्ध करायेगें तद्नुसार प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के प्रस्तावित इको सेंसिटिब जोन स्थित विविध अवस्थापनाओं की रिपोर्ट तैयार कर परीक्षणोपरान्त आवश्यक संशोधन कर उक्त रिपोर्ट समयान्तर्गत मा0सवोच्च न्यायालय में दाखिल किया जा सके।

संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जन्तु अभ्यारण्य) के अन्तर्गत भारतीय वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत यदि इस कार्यवाही के सम्पादन में किसी तरह की अनुमति की आवश्यकता हो तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड से आवश्यकतानुसार अनुमति प्राप्त की जाय।

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड इस कार्य के सम्पादन में अपना पूर्ण सहयोग मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0 को प्रदान करेंगे।

संलग्न–यथोपरि।

(विनोद कुमार)
प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF)
उत्तराखण्ड

कार्यालय नि0 स0 टा0 रि0
पंजिका क्रमांक ...1217...
पत्रावली संख्या ...1-12...
दिनांक ...09/06/22...
...डा0 का0 करें
...आख्या देवें।

C.C.:

निदेशक